रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937
No. 710] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 880(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी II और श्रेणी III) भर्ती नियम, 1989 जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी II से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताः** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी I	10 (2015)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 2, 9300– 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (**टिप्पणः**– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। कौशल परीक्षण मानक केवल कम्प्यूटर पर श्रुतलेखः 10 मिनट में 100 शब्द प्रतिमिनट प्रतिलेखनः 40 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट (हिन्दी) **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अभिलेखित कर छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव के संदर्भ मेंः (अर्हता/अर्हताएं) को कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अभिलेखित कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन आयोग के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय बनती है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या प्रोन्नतियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पणः** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह का आवश्यक प्रवेशन प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन।	(1) प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः आशुलिपिक ग्रेड— II पे बैंड—1 में, रु 5200—20,200 जमा रु 2400/— का ग्रेड वेतन, इस ग्रेड में 10 साल की नियमित सेवा सहित ! **टिप्पण 1**: आशुलिपिक ग्रेड—II पे बैंड—1 में 5200—20,200 और रु 2400/— का ग्रेड वेतन वाले जिनके प्रोन्नति पर विचार किया जा सकता है उन्हें आशुलिपिक ग्रेड—1 पद के लिए प्रोन्नति हेतु विचार से पूर्व सचिवालय एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित लेवल—1 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा एवं सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पत्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 3**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, आयोग के सिफारिशों पर आधारित समरूप ग्रेड वेतन या वेतनमान में सेवा प्रदान की है। केन्द्रीय सरकार के आशुलिपिकः (1) विभाग या मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृष पद धारित या; (2) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर रु 5200—20,200/— के वेतन बैंड में रु 2400/— ग्रेड वेतन सहित आशुलिपिक ग्रेड— II में 10 वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: पोषक संवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के लिए विचारणीय है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पदधारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: अन्य पूर्व संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अवधि इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या इसी विभाग में अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचारार्थ): (i) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण — अध्यक्ष (ii) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य (iii) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य समूह 'ख' विभागीय संपुष्टि समिति (संपुष्टि विचार हेतु): (i) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण — अध्यक्ष (ii) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य (iii) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग के सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 01/18/2011–सीएसबी]

डॉ. आर. डलवानी, वैज्ञानिक 'जी'/सलाहकार (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 880(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Stenographer Grade II and Stenographer Grade- III) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade- II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Botanical Survey of India, namely:–

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Botanical Survey of India, Stenographer Grade-I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. –** The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications. –** No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Stenographer Grade-I.	10*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2. Rs. 9300-34800 /plus grade pay of Rs.4200/-	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: Bachelor's degree from a recognised university. Skill Test Norms only on computers: Dictation: 10 minutes at the rate of 100 words per minute. Transcription: 40 minutes (English). 55 minutes (Hindi). Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. **Note:** The period of two years for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	**(i)** Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation; **(ii)** Fifty per cent. by deputation, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Stenographers Grade II in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- with ten years' regular service in the grade. **Note 1:** The Stenographers Grade-II in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/-, who are in the zone of consideration for promotion, will have to participate and successfully complete Level-I training program to be conducted by Institute of Secretariat Training and Management before being considered for promotion to the post of Stenographer Grade-I. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Deputation:** Stenographers of the Central Government: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service in the grade of Stenographers Grade-II rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- in the parent cadre or department. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Director, Botanical Survey of India – Chairman; (2) Head of office, Botanical Survey of India– Member; (3) Head of office, Zoological Survey of India– Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Botanical Survey of India – Chairman; (2) Head of office, Botanical Survey of India – Member; (3) Head of office, Zoological Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications. **Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No. 01/18/2011-CSB]
Dr. R. DALWANI, Scientist G/Advisor (Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.